कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तÅ º‡°Ñì, Ìì'ì¹ì… ç

„ºìíØ¯ì«ì ü	**ÔðÂì«ìð Øìì¸ì¹ìì í®ìºìì¤ð, ‡¦ðÑì¹ìÌì ŒéíÂìÑ¹ìÅ, "É¦-2, Ðìííª¹ìšÃì ŒéÅ, „त्तर प्रदेश ।**
º‡ì¯ì¹ìì-ºì®ì Øì'Ãìì	**73 ç0**
º‡ì¯ìð	**ØìÐìÔð Àì"ì ,íª¦Ãìì º‡ì0 íÌì0, Àìð-16, ÀìÌì¹°ÑìÚÅ Àì¦ ,ª¦0 ‡íÅÃìì, Øìì,¡ ¹ìÂÀìÅ-1, "ììíšìÃììÀìì° ç**
प्रार्थी की ओर से	**Submission ¦ìŒé ·ìÅì º‡ì°«ì ç**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

ØìÐìÔð Àì"ì ,íª¦Ãìì º‡ì0 íÌì0, Àìð-16, ÀìÌì¹°ÑìÚÅ Àì¦ ,ª¦0 ‡íÅÃìì, Øìì,¡ ¹ìÂÀìÅ-1, "ììíšìÃììÀìì° द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-ºì®ì Øì'Ãìì-73 / 10, í°¹ììŒé 16.07.2010 º‡Ø«ì«ì ŒéÅ«ì Ú‡ í¹ìÂ¹ì º‡Ñ¹ì ºì™ "ìÃì Ú ü-

1. Who would be eligible to take the input tax credit on all such local purchases, Whether the principal (I.e Bunge) or Commission Agent (s) ?

2. Who will be liable to pay the output tax on all such local sales, Whether the principal (I.e Bunge) or Commission Agent (s) ?

3. Can we charge VAT on the Stock Transfer Notes issued to Commission Agents for the transfer of material which has been purchased by us locally after payment of applicable VAT in the state of UP and the Commission Agent can claim ITC of such VAT Charged ?

4. Will it be correct if we take the input tax credit (ITC) on the material purchased by us from local vendors and our Commission Agent pay the corresponding full Output Tax under his TIN Number and our Commission Agent gives us Form-V on regular basis as a discharge of our liability ?

2. º‡ì¯ìð Œéì, º‡ì¯ì¹ìì-ºì®ì Œéð Øì¹ìÐìì, Ú«ì, í°¹ììŒé 22.05.2013 Œéì ¹ììí¡Øì Øì'Ãìì-86, í°¹ììŒé 08.05.2013 भेजी गयी। सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ। º‡ì¯ìð ·ìÅì ¦ìŒé Œé Âìì¸ÃìÂì Øì ºìÐì Âì íÌìí'ì«ì Submission º‡íׯì«ì íŒéÃìì "ìÃìì ¯ìì, íšìØìÂì „ÌÌì'ì íŒéÃìì "ìÃìì Ú íŒé „¹ìŒé ·ìÅì ºìÐì Âì Øì¹ìÐìì, í°¹ììŒé 11.08.2010 Ðì 13.02.2013 को व्यक्तिगत रूप करायी जा चुकी है, उन्हीं तथ्यों / साक्ष्यों के आधार पर निर्णय कर दिया जाये।

,Øì Submission Âì ÂìÌì º‡ì¯ì¹ìì-ºì®ì Âì „íÌìí'ì«ì «ì¯Ãìì Œéì ºìÚÅì«ì Ú‡ ºì¹ìü ÃìÚ „Ììì'ì íŒéÃìì Ú íŒé º‡ì¯ìð-कम्पनी इडबिल ऑयल का निर्माण-íÂìŽéð Ðì 'ìÅð°-íÂìŽéð Œéì ŒéìÃì ŒéÅ«ìð Ú ç ÂììÌì Œéð íÂìŽéð ŒéÂìðÑì¹ì ‡šì¹¡ Œé माध्यम से की जाती है। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-3 (10), 13 (9) Ðì 2 (h) Œéì „Ììì'ì ŒéÅ«ì हुए कहा गया है कि आढ़ती / कमीशन एजेन्ट भी डीलर की परिभाषा के अन्तर्गत हैं और राज्य के भीतर से क्रय किये गये किसी माल का, विक्रय किसी मालिक द्वारा किसी विक्रय अभिकर्ता के माध्यम से किया जाता है ÐìÚì ITC Œéì °ìÐìì ÂììíÌìŒé ·ìÅì íŒéÃìì šììÃì"ìì ç ÃìÚ Áìð „Ììì'ì íŒéÃìì "ìÃìì Ú íŒé ŒéÂìðÑì¹ì ‡šì¹¡ Œéì Ø¡ìŒé ¡ì¹Øì»éÅ íŒéÃì šìì¹ì Œéð °Ñìì Âì UP VAT Act & Rules Âì Ø¡ìŒé ¡ì¹Øì»éÅ ºìÅ Ðì¡ ˜ììšì íŒéÃì šìì¹ì Œéì Œéì, º‡ìíÐì¸ìì¹ì ¹ìÚð Ú ç ,Øì º‡ŒéìÅ Øì ŒéÂìðÑì¹ì ‡šì¹¡ Ðì íº‡¹ØìðºìÌì Œé Âì¸Ãì íŒéÃì "ìÃì ØìÐìÂìÐìÚìÅ ºìÅ ,¹ìºुट टैक्स /

ØìÐìÔð Àì"ì ¸íª¦Ãìì ºÉì0 íÌì0/ ºÉì0ºì®ì Øì0-73 / 10 / ¸ììÅì-59 / ºì×¤-2

आउटपुट टैक्स के क्लेम / जमा करने की स्थिति किस तरह से होगी, को स्पष्ट करते हुए प्रार्थना-ºì®ì Œéì निस्तारित करने का अनुरोध किया गया।

3. ‡¦ðÑì¹ìÌì ŒéíÂìÑ¹ìÅ, "É¦-1, Ðììíªìš Ãì ŒéÅ, "ììíšìÃììÀìì° šìì¹ì-í·«ìðÃì, "ììíšìÃììÀìì° Œé ºì®ì Øì'Ãìì-241, दिनांक 25.08.2010 से प्राप्त आख्या में यह कहा गया है कि प्रार्थी-ŒéÂº¹ìð ·ìÅì ºÉì¹«ìðÃì 'ìÅð° "ìÃì ÂììÌì Œéì प्रान्त में नियुक्त कमीशन एज¹¡ Œé Âìì¸ÃìÂì Øì šìì íÂìŽéð Œéð šììÃì"ìð „Øì ºìÅ ITC Œéì ÌììÁì íºÉ¹Øìðºì Ìì Ìì"ìì Ãìì कमीशन एजेन्ट तथा बिक्री किये गये माल पर जो आउटपुट टैक्स होगा उसे कौन जमा करेगा, के सम्बन्ध में ºÉÑ¹ì ºì™ "ìÃì Ú ç ,Øì ØìÂÀì¹¸ì Âì उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-13 (9) और 3 (10) में निम्न ÐÃìÐìØ¯ìì ºÉìíÐì¸ììí¹ì«ì Œéð "ìÃìð Ú ü-

सैक्शन-13 (9)

Where any goods, purchased from within the State, are sold by a / principal through a selling agent or where any goods are purchased by a purchasing agent on behalf of a principal, input tax credit, in respect of purchase of such goods, shall be claimed by and be allowed to the principal in such manner as may be prescribed.

सैक्शन-3 (10)

Where tax is payable, and has been so paid by a commission agent on any turnover of sale or turnover of purchase or both, as the case may be, of any goods on behalf of his principal, the principal shall not be liable to pay tax in respect of such turnover.

उपरोक्त उल्लिखित ºÉìíÐì¸ìì¹ìì Øì Øºì×¡ Ú íŒé ¸ììÅì-13 (9) Mandatory ºÉìíÐì¸ìì¹ì Ú šìÀìíŒé ¸ììÅì-3 (10) कण्डीशनल प्राविधान है। इस प्राविधान के अनुसार यदि कमीशन एजेन्ट द्वारा कर जमा कर दिया जाता Ú «ìÀì íºÉ¹Øìðºì Ìì Shall not be liable to pay tax Ûìगा, अन्यथा की स्थिति में प्रिन्सीपल दायित्वाधीन रहेगा। उक्त प्राविधानों के आलोक में प्रार्थी ITC क्लेम करेंगे और प्रिन्सीपल की हैसियत से कमीशन एजेन्ट द्वारा की गयी उक्त माल की बिक्री पर कर जमा करते हुए अपने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष एनैक्स्चर-‡ ‡Ðì एनैक्स्चर-बी दाखिल करेंगे ताकि उनका सापेक्षिक रूप से वस्तु, मात्रा एवं मूल्य आदि का परीक्षण करते हुए एनैक्स्चर-ए व एनैक्स्चर-बी की संगतता का परीक्षण किया जा सके। उक्त तथ्यों के आलोक में प्रश्न संख्या-1 का स्पष्ट रूप से उत्तर यह है कि सैक्शन-13 (9) में प्रिन्सीपल को ITC क्लेम करने की व्यवस्था दी गयी है। ºÉÑ¹ì Øì'Ãìì-2 Œé ØìÂÀì¹¸ì ÃìÚ Øºì×¡ Ú íŒé ŒéÂìðÑì¹ì ‡šì¹¡ is the extended form of the principal, Hence the tax due on sale as a out put tax. May be deposited by both. Keeping the intention of VAT Act in the interest of revenue, Annexture A and B must be submitted by principal and principal is the actual owner of goods as selling agent is part or extended form of principal, That is why principal will be liable to pay tax on all such local sales. ºÉÑ¹ì Øì'Ãìì-3 Œé ØìÂÀì¹¸ì Âì ÃìÚ ŒéÚì "ìÃìì Ú íŒé There is no such provision in U.P.VAT ACT and rules that allowed to charge VAT on stock transfor notes. ºÉÑ¹ì Øì'Ãìì-

....3

ØìÐìÔð Àì"ì ¸í ª¦Ãìì ºÉì0 íÌì0/ ºÉì0ºÌ Øì0-73 / 10 / ¸ììÅì-59 / ºì×¤-3

4 Œé ØìÂÀì¹¸ì Àì, ºÉÑ¹ì Øì'Ãìì-2 के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर को मानते हुए प्रार्थना-ºÌì í¹ìØ«ììÅª ŒéÅ¹ì Œéì अनुरोध किया गया है।

4. प्रस्तुत कर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि प्रिन्सीपल व कमीशन एजेन्ट के मध्य के संव्यवहारों पर ITC क्लेम करने की विधिक प्रक्रिया उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-3 (10), 13 (9) व उत्तर प्रदेश वैट नियमावली के नियम-17 Àì í¹ìÅ¹ì ºÉŒéìÅ Øì ºÉìíÐì¸ììí¹ì«ì Œéð "ìÃìð Ú ü-

¸ììÅì-3 (10)

जहॉ कर की देनदारी है और, यथास्थिति, किसी माल के विक्रय के किसी आवर्त या क्रय के किसी आवर्त या दोनों पर अपने स्वामी की ओर से कमीशन एजेन्ट द्वारा इØì ºÉŒéìÅ Áì"ì«ìì¹ì ŒéÅ í°Ãìì "ìÃìì Ú, «ìì स्वामी ऐसे आवर्त के सम्बन्ध में कर का भुगतान करने का दायी नहीं होगा।

¸ììÅì-13 (9)

šìÚì ÅìšÃì Œé Áìð«ìÅ Øì ŽéÃì íŒéÃì "ìÃì íŒéØìð ÂììÌì Œéì íÐìŽéÃì íŒéØìð ÂììíÌìŒé ·ìÅì íŒéØìð íÐìŽéÃì-Œé«ìì अभिकर्ता के माध्यम से किया जाता है या जहॉ किन्हीं माल का क्रय किसी मालिक की ओर से किसी क्रयकर्ता अभिकर्ता द्वारा किया जाता है वहॉ ऐसे माल के क्रय के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा मालिकð ·ìÅì उस रीति से, जैसा कि विहित किया जाये, किया जाएगा और उसे अनुज्ञा होगी।

í¹ìÃìÂì-17

अभिकर्ता द्वारा मूल व्यवहारी को जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्रों का प्रारूप-(1) ºÉ«ÃìŒé ÐÃìÐìÚìÅð, šìì ÂìÌì ÐÃìÐìÚìÅð Œéð íŒसी कर योग्य वस्तु की उसकी ओर से बिक्री करता है, वह मूल व्यवहारी को इस बिक्री ‡Ðì ¸Øì ºìÅ šìÂìì íŒéÃì "ìÃì ŒéÅ Œéì ºÉÂììª ºÌì »éìÂì-ºìì˜ì Âì °"ìì ç

उक्त प्राविधानों के आधार पर प्रश्न संख्या-1 Œé ØìÂÀì¹¸ì Âì ÃìÚ Ø¤ष्ट है कि उपरोक्त उल्लिखित ¸ììÅì-13 (9) के अनुसार प्रान्त अन्दर टैक्स इनवायस से खरीदे गये माल के सम्बन्ध में ITC का लाभ क्रेता íºÉ¹Øìðºì Ìì Œéì Úð íÂìÌì"ìì ç ºÉÑ¹ì Øì'Ãìì-2 के सम्बन्ध में उपरोक्त उल्लिखित धारा-3 (10) Œé ºÉìíÐì¸ìì¹ì Œé अनुसार कमीशन एजेन्ट द्वारा कर जमा करने की स्थिति में प्रिन्सीपल पर कर जमा करने का दायित्व नहीं ÅÚ"ìì ç ºÉÑ¹ì Øì'Ãìì-3 के सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत स्टाक ¡ì¹Øì»éÅ नोट पर वैट चार्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 में इसका कोई प्राविधान उल्लिखित नहीं है। अत: ऐसी स्थिति में कमीशन एजेन्ट द्वारा ITC क्लेम करने का प्रश्न ही नहीं „¤«ìì Ú ç ºÉÑ¹ì Øì'Ãìì-4 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-3 (10) Ðì ÈÌØì-17 Âì स्पष्ट प्राविधान दिया गया है, तदनुसार प्रश्न का उत्तर स्वत: स्पष्ट हो जाता है।

5. ÂìÅ ·ìÅì ¸ììÅì-59 Œé ºÉì˜ì¹ìì-ºÌì Âì „íÌìí'ì«ì «ìŒéì, ºÉØ«ì«ì Øììäàìì, ‡¦ðÑì¹ìÌì ŒéíÂìÑ¹ìÅ "É¦-1, ÐììíªìšÃì ŒéÅ, "ììíšÃììÂìì° šìì¹ì-द्वितीय, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या, विधि-ÐÃìÐìØ˜ìì Œéì ºìíÅÑìðÌì¹ì íŒéÃìì गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा में निम्नलिíं'ì«ì ºÉìíÐì¸ìì¹ì Ú ü-

¸ììÅì-3 (10)

जहॉ कर की देनदारी है और, यथास्थिति, किसी माल के विक्रय के किसी आवर्त या क्रय के किसी आवर्त या दोनों पर अपने स्वामी की ओर से कमीशन एजेन्ट द्वारा इस प्रकार भुगतान कर दियì "ìÃìì Ú, «ìì

....4

<u>ØìÐìÔð Àì"ì ¸í ª¦Ãìì ºÉì0 íÌì0/ ºÉì0ºì®ì Øì0-73 / 10 / ¸ììÅì-59 / ºì×¤-4</u>

स्वामी ऐसे आवर्त के सम्बन्ध में कर का भुगतान करने का दायी नहीं होगा।

<u>¸ììÅì-13 (9)</u>

šìÚì ÅìšÃì Œé Áìð«ìÅ Øì ŽéÃì íŒéÃì "ìÃì íŒéØìð Âììì Œéì íÐìŽéÃì íŒéØìð Âììíìœé ·ìÅì íŒéØìð íÐìŽéÃì-Œé«ìì अभिकर्ता के माध्यम से किया जाता है या जहाँ किन्हीं माल का क्रय किसी मालिक की ओर से किसी क्रयकर्ता अभिकर्ता द्वारा किया जाता है वहाँ ऐसे माल के क्रय के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा मालिक द्वारा उस रीति से, जैसा कि विहित किया जाये, किया जाएगा और उसे अनुज्ञा होगी।

<u>í¹ìÃìÂì-17</u>

अभिकर्ता द्वारा मूल व्यवहारी को जाÅð íŒéÃì šìì¹ì Ðììì ºÉÂììªì ºì®ìì Œéì ºÉìÈº-(1) ºÉ«ÃìŒé ÐÃìÐìÚìÅð, जो मूल व्यवहारी की किसी कर योग्य वस्तु की उसकी ओर से बिक्री करता है, वह मूल व्यवहारी को इस बिक्री ‡Ðì ¸Øì ºìÅ šìÂìì íŒéÃì "ìÃì ŒéÅ Œéì ºÉÂììªì ºì®ì »éìÂì-ºìì¯ì Âì °"ìì ç

उपरोक्त प्राविधानों के आलोक में प्रश्नों का उत्तर निम्नवत है :-

<u>ºÉÑ¹ì Øì'Ãìì-1 का उत्तर</u>

प्रान्त अन्दर टैक्स इनवायस से खरीदे गये माल के सम्बन्ध में ITC का लाभ, Žé«ìì íºÉ¹Øìðºììì (ºÉì¯ìð) को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-13 (9) के आलोक में मिलेगा।

<u>ºÉÑ¹ì Øì'Ãìì-2 का उत्तर</u>

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-3 (10) के प्राविधानों के अनुसार कमीशन एजेन्ट द्वारा ŒéÅ šìÂìì ŒéÅ¹ì Œéð íØ¯ìí«ì Âì íºÉ¹Øìðºììì ºìÅ šìÂìì ŒéÅ¹ì Œéì ºìíÃì«Ðì ¹ìÚð ÅÚ"ìì ç

<u>ºÉÑ¹ì Øì'Ãìì-3 का उत्तर</u>

प्रान्त अन्दर खरीदे माल को, प्रिन्सीपल द्वारा अपने एजेन्ट को स्टाक ट्रान्सफर करने की स्थिति में, `` Ø¡ìŒé ¡ì¹Øì»éÅ ¹ìì¡Øì '' ºìÅ Ðì¡ ¯ììšì ¹ìÚð íŒéÃìì šìì ØìŒé«ìì Ú, क्योंकि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 Âì ¸ØìŒéì Œéì¸ ºÉìíÐì¸ìì¹ì ¹ìÚð Ú ç अत: ऐसी स्थिति में कमीशन एजेन्ट द्वारा ITC क्लेम करने का प्रश्न ही नहीं „¤«ìì Ú ç

<u>ºÉÑ¹ì Øì'Ãìì-4 का उत्तर</u>

¸ììÅì-3 (10), ¸ììÅì-13 (9) ‡Ðì í¹ìÃìÂì-17 Œé ºÉìíÐì¸ìì¹ìì «ì¯ìì ºÉÑ¹ì Øì0-1, 2, 3 के उत्तर से स्थिति ØÐì«ìü Øº×¡ Ú ç

6- ºÉì¯ìð Œé ·ìÅì ºÉØ«ì«ì ¸ììÅì-59 Œé ºÉì¯ì¹ìì ºì®ì Âì „íììí'ì«ì ºÉÑ¹ì Œéì „त्तर उपरोक्तानुसार दिया šìì«ìì Ú ç

7- उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाये।

í°¹ììŒé 27 Âì¸, 2013

Ú0 / 27.05.2013

(Øìì¸ì¹ìì í®ìºìì¤ð)

‡¦ðÑì¹ìì ŒéíÂìÑ¹ìÅ, "É¦-2, ÐììíªìšÃì ŒéÅ,

„त्तर प्रदेश, लखनऊ।